ब्र हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज प्र.सं. 50/2018 मोहता सिंह बनाम सरदूल सिंह आदि; अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी किए
9.2019	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि प्रार्थीगण ने वाद–पत्र के साथ स्थगन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि चक 85 एल.एन.पी. तहसील रायसिंहनगर के खाता सं. 123 प.नं. 115/303 मु.नं. 42 कुल खाता योग 6.200है. नहरी मय खाला खातेदारी में से कि.नं. 1–2 प्रत्येक में 0.228है नहरी मय खाला, 9 ता 12 सालम, 19 ता 23 सालम कुल 2.773है. मय खाला भूमि प्रार्थीगण के दादा हुक्मसिंह पुत्र गंगासिंह के नाम से खातेदारी हैं। प्रार्थीगण के दादा के देहान्त के बाद जायज वारिसान चार पुत्र तथा दो पुत्रियां कुल छः थे। इस प्रकार हुक्म सिह की उक्त भूमि में से छ वारिसान प्रत्येक को बहिस्सा बराबर 1/6 हिस्सा विरास्तन अधिकार प्राप्त हुवे। पक्षकारान का संयुक्त रूप से रकबे को काश्त करना संभंव नहीं रहा हैं। उनके मध्य हमेशा लगान अदायगी तथा कब्जा काश्त को लेकर झगड़े का अन्देशा रहता हैं। इसलिए खाता विभाजन करवाना आवश्यक हो गया हैं। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में बनता हैं। यदि दौराने वाद अप्रार्थीगण अपने उक्त अवैधानिक व गैरकानूनी कृत्य में कामयाब हो गये तो वाद का कमसद ही फोत हो जावेगा और प्रार्थीगण के विधिक अधिकारों का हनन होगा, गैरइंसाफी होगी, अन्याय होगा, अपूर्णीय क्षति होगी। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वादगत भूमि पर मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखने बाबत व्यादेश पारित करने हेतु निवेदन किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर दिनांक 02.05.2018 को एकपक्षीय स्थगन आदेश पारित किया गया। अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 के विरूद्ध दिनांक 01.07.2019 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। प्रतिवादी सं. 2 तथा 4 ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि चक 85 एल.एन.पी. मु.नं. 42 कुल खाता योग 6.200है. भूमि हुक्म सिंह को आवंटन हुई थी, जो स्व अर्जित भूमि उसने अपने जीवनकाल में अपनी इच्छा अनुसार जरिये दान–पत्र वसीयत कर दी थी। अब उसके नाम कोई शेष नहीं रही हैं। प्रार्थीगण के पास किसी भू भाग का कब्जा नहीं है ना ही वह किसी भू भाग को प्राप्त करने के अधिकारी हैं। अतः प्रार्थना पत्र खारिज करने हेतु निवेदन किया। बहस उभयपक्ष के अधिवक्तागण की सुनी गयी। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए न्यायालय द्वारा जारी अस्थाई व्यादेश दिनांक 02.05.2018 को मूल वाद निर्णय तक कन्फर्म करने हेतु निवेदन किया। जबकि प्रतिवाद में वकील अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में निवेदन किया कि उक्त भूमि हुक्म सिंह की स्व अर्जित भूमि थी। जो उसने अपनी इच्छा से अपने जीवनकाल में प्रार्थीगण की माता को 1.721 है, अप्रार्थी सं. 1 सरदुल सिंह को 1.746है., भूमि जरिए दान पत्र दान कर दी जिसका नामान्तरण हो चुका हैं। वादगत भूमि में से कि.नं. 1–10–11–19–20–21–22 की कुल 1.746है मय खाला भूमि जरिए रजि. दानपत्र अपनी हकीकी पौते अप्रार्थी सं. 4 के नाम करवा दी जिसका नामान्तरण स्थगन आदेश होने के कारण शेष हैं, शेष भूमि कि.नं. 2–9–12–23 कुल 0.987है. मय खाला अपने पुत्र अप्रार्थी सं. 2 को जरिए रजि. वसीयत दिनांक 16.06.2014 को वसीयत कर दी। जिसका नामान्तरकरण शेष हैं। प्रार्थीगण ने लालचवश बदनीयती से अप्रार्थीगण की भूमि हड़पने के उद्देश्य से गलत तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर रखा हैं। यदि	(सन्दीप कुमार) उप खण्ड अधिकारी (राजस्व) रायसिंहनगर

Scanned by CamScanner

अप्रार्थीगण के विरूद्ध किसी तरह का व्यादेश पारित किया जाता हैं, तो अपूर्णीय क्षति अप्रार्थीगण को होगी। अतः प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

बहस उभयपक्ष के अधिवक्तागण पर मनन किया। एवं पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में मौजूद दस्तावेजात साक्ष्य का अवलोकन किया। अवलोकन के उपरान्त न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि हुक्म सिंह की वादगत भूमि में प्रार्थीगण का कितना हिस्सा है अथवा नहीं हैं इसका निर्णय मूल वाद में गुणावगुण साक्ष्यों के आधार पर किया जाना हैं। इस स्तर कोई टिप्पणी किया जाना उचित प्रतीत नहीं होना हैं। चूंकि हुक्म सिह ने अपने जीवनकाल में अपनी भूमि का जरिए रजि. दान–पत्र वसीयत के अपने वारिसान के मध्य भूमि का विभाजन कर दिया था। इसलिए प्रार्थीगण अप्रार्थीगण को ज़रिए रजि. वसीयत/दान–पत्र के प्राप्त भूमि पर व्यादेश प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं। यदि अप्रार्थीगण के विरूद्ध किसी प्रकार की निषेधाज्ञा पारित की जाती हैं तो अपूर्णीय क्षति अप्रार्थीगण को होने की संभावना हैं। प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन अप्रार्थीगण के पक्ष में हैं। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं।

लिहाजा प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण खारिज किया जाता हैं। तथा न्यायालय द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 02.05.2018 को निरस्त किया जाता हैं। आदेश सुनाया गया।

पत्रावली फैंसले में शुमार होकर मूल वाद संलग्न रहे।

(संदीप कुमार)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
रायसिंहनगर

Scanned by CamScanner